



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 28] नई दिल्ली, जुलाई 4—जुलाई 10, 2004 शनिवार/आषाढ़ 13—आषाढ़ 19, 1926  
No. 28] NEW DELHI, JULY 4—JULY 10, 2004 SATURDAY/ASADHA 13—ASADHA 19, 1926

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय अधिकारियों ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम ( जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं )  
General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग )

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2004

सा. का. नि. 225.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक तथा अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के परामर्श से केन्द्रीय सिविल सेवा ( वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील ) नियमावली, 1965 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का नाम "केन्द्रीय सिविल सेवा ( वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील ) संशोधन नियमावली, 2004" है।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा ( वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील ) नियमावली, 1965 के नियम 14, उप नियम (2) में स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित परन्तुक शामिल किया जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु यह कि, जहाँ यौन उत्पीड़न की शिकायत, केन्द्रीय सिविल सेवा ( आचरण ) नियमावली, 1964 के नियम 3ग के अधिप्राय के अंतर्गत आती हो, वहाँ प्रत्येक मंत्रालय अथवा विभाग अथवा कार्यालय में ऐसी शिकायतों की जाँच-पड़ताल करने के लिए गठित की गई शिकायत समिति को, ऐसे नियमों के प्रयोजन से अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया जाँच प्राधिकारी समझा जाएगा और यदि, यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जाँच-पड़ताल करने के लिए शिकायत समिति के लिए कोई पृथक प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है तो शिकायत समिति, जहाँ तक हो सके, इन नियमों में निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार व्यवहार्य तरीके से जाँच-पड़ताल करे।"

[ फ़. संख्या-11012/5/2001-स्थापना (क) ]

श्रीमती प्रतिभा मोहन, निदेशक

पाद टिप्पण : मुख्य नियम भारत के राजपत्र में दिनांक 20-11-1965 की अधिसूचना संख्या 7/2/63-स्थापना (क) द्वारा प्रकाशित किए गए और तदनंतर भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में निम्नलिखित तारीखों को निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए :—

का.आ. 1149 दिनांक अप्रैल 13, 1966  
का.आ. 1596 दिनांक जून 04, 1966  
का.आ. 2007 दिनांक जुलाई 09, 1966  
का.आ. 2648 दिनांक सितम्बर 02, 1966  
का.आ. 2854 दिनांक अक्टूबर 01, 1966

का.आ. 1282 दिनांक अप्रैल 15, 1967  
का.आ. 1457 दिनांक अप्रैल 29, 1967  
का.आ. 3253 दिनांक सितम्बर 16, 1967  
का.आ. 3530 दिनांक अक्टूबर 07, 1967  
का.आ. 4151 दिनांक नवम्बर 25, 1967  
का.आ. 321 दिनांक मार्च 09, 1968  
का.आ. 1441 दिनांक अप्रैल 27, 1968  
का.आ. 1870 दिनांक जून 01, 1968  
का.आ. 3423 दिनांक सितम्बर 28, 1968  
का.आ. 5008 दिनांक दिसम्बर 27, 1969  
का.आ. 397 दिनांक फरवरी 07, 1970  
का.आ. 35217 दिनांक सितम्बर 25, 1971  
का.आ. 249 दिनांक जनवरी 01, 1972  
का.आ. 990 दिनांक अप्रैल 22, 1972  
का.आ. 1600 दिनांक जुलाई 01, 1972  
का.आ. 2789 दिनांक अक्टूबर 14, 1972  
का.आ. 929 दिनांक मार्च 31, 1973

का.आ. 1648 दिनांक जुलाई 06, 1974

का.आ. 2742 दिनांक जुलाई 31, 1976  
का.आ. 4664 दिनांक दिसम्बर 11, 1976

का.आ. 3062 दिनांक अक्टूबर 08, 1977  
का.आ. 3573 दिनांक नवम्बर 26, 1977  
का.आ. 3574 दिनांक नवम्बर 26, 1977  
का.आ. 3671 दिनांक दिसम्बर 03, 1977

का.आ. 2464 दिनांक सितम्बर 2, 1978  
का.आ. 2465 दिनांक सितम्बर 02, 1978

का.आ. 920 दिनांक फरवरी 17, 1979  
का.आ. 1769 दिनांक जुलाई 05, 1980

का.आ. 264 दिनांक जनवरी 24, 1981  
का.आ. 2126 दिनांक अगस्त 08, 1981  
का.आ. 2203 दिनांक अगस्त 22, 1981  
का.आ. 2512 दिनांक अक्टूबर 03, 1981

का.आ. 168 दिनांक जनवरी 23, 1982

अधिसूचना सं. 11012/15/84-स्था.(क) दिनांक जुलाई 05, 1985

अधिसूचना सं. 11012/05/85-स्था.(क) दिनांक जुलाई 29, 1985

अधिसूचना सं. 11012/06/85-स्था.(क) दिनांक अगस्त 06, 1985

का.आ. 5637 दिनांक दिसम्बर 21, 1985

का.आ. 5743 दिनांक दिसम्बर 28, 1985

अधिसूचना सं. 11012/24/85-स्था.(क) दिनांक नवम्बर 26, 1986

का.आ. 830 दिनांक मार्च 28, 1987

का.आ. 831 दिनांक मार्च 28, 1987

का.आ. 1591 दिनांक जून 27, 1987

का.आ. 1825 दिनांक जुलाई 18, 1987

का.आ. 3060 दिनांक अक्टूबर 15, 1988

का.आ. 3061 दिनांक अक्टूबर 16, 1988

का.आ. 2207 दिनांक सितम्बर 16, 1989

का.आ. 1084 दिनांक अप्रैल 28, 1990

का.आ. 2208 दिनांक अगस्त 25, 1990

का.आ. 1481 दिनांक जून 13, 1992

सा.का.नि. 289 दिनांक जून 20, 1992/भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i)

सा.का.नि. 589 दिनांक दिसम्बर 26, 1992

सा.का.नि. 499 दिनांक अक्टूबर 08, 1994  
सा.का.नि. 276 दिनांक जून 10, 1995

सा.का.नि. 17 दिनांक फरवरी 20, 1996  
सा.का.नि. 125 दिनांक मार्च 16, 1996  
सा.का.नि. 417 दिनांक अक्टूबर 05, 1996

सा.का.नि. 337 दिनांक सितम्बर 02, 2000  
सा.का.नि. 420 दिनांक अक्टूबर 28, 2000

सा.का.नि. 211 दिनांक अप्रैल 14, 2001

सा.का.नि. 60 दिनांक फरवरी 13, 2002  
सा.का.नि. 2 दिनांक जनवरी 03, 2004  
सा.का.नि. 113 दिनांक अप्रैल 10, 2004

### MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 1st July, 2004

**G.S.R. 225.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Amendment Rules, 2004.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, in rule 14 in sub-rule (2), before the Explanation, the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided that where there is a complaint of sexual harassment within the meaning of rule 3 C of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, the Complaints Committee established in each Ministry or Department or Office for inquiring into such complaints, shall be deemed to be the inquiring authority appointed by the disciplinary authority for the purpose of these rules and the Complaints Committee shall hold, if separate procedure has not been prescribed for the Complaints Committee for holding the inquiry into the complaints of sexual harassment, the inquiry as far as practicable in

accordance with the procedure laid down in these rules.”

[F. No. 11012/5/2001-Estt. (A)]

SMT. PRATIBHA MOHAN, Director

**Foot note :** The principal rules were published in the Gazette of India vide Notification No. 7/2/63-Estt. (A) dated 20-11-65 and subsequently amended by Notifications published in the Gazette of India Part-II, Section 3, Sub-section (ii) under the following numbers and date :—

S. O. 1149 dated 13th April, 1966  
S. O. 1596 dated 4th June, 1966  
S.O. 2007 dated 9th July, 1966  
S.O. 2648 dated 2nd September, 1966  
S.O. 2854 dated 1st October, 1966  
S.O. 1282 dated 15th April, 1967  
S.O. 1457 dated 29th April, 1967  
S.O. 3253 dated 16th September, 1967  
S.O. 3530 dated 7th October, 1967  
S.O. 4151 dated 25th November, 1967  
S.O. 321 dated 9th March, 1968  
S.O. 1441 dated 27th April, 1968  
S.O. 1870 dated 1st June, 1968  
S.O. 3423 dated 28th September, 1968  
S.O. 5008 dated 27th December, 1969  
S.O. 397 dated 7th February, 1970  
S.O. 35217 dated 25th September, 1971  
S.O. 249 dated 1st January, 1972  
S.O. 990 dated 22nd April, 1972  
S.O. 1600 dated 1st July, 1972  
S.O. 2789 dated 14th October, 1972  
S.O. 929 dated 31st March, 1973  
S.O. 1648 dated 6th July, 1974  
S.O. 2742 dated 31st July, 1976  
S.O. 4664 dated 11th December, 1977  
S.O. 3062 dated 8th October, 1977  
S.O. 3573 dated 26th November, 1977  
S.O. 3574 dated 26th November, 1977  
S.O. 3671 dated 3rd December, 1977  
S.O. 2464 dated 2nd September, 1978  
S.O. 2465 dated 2nd September, 1978  
S.O. 920 dated 17th February, 1979  
S.O. 1769 dated 5th July, 1980  
S.O. 264 dated 24th January, 1981  
S.O. 2126 dated 8th August, 1981

---

S.O. 2203 dated 22nd August, 1981	S.O. 2207 dated 16th September, 1989
S.O. 2512 dated 3rd October, 1981	S.O. 1084 dated 28th April, 1990
S.O. 168 dated 23rd January, 1982	S.O. 2208 dated 25th August, 1990
Notification No. 11012/15/84-Estt. (A) dated 5th July, 1985	S.O. 1481 dated 13th June, 1992
Notification No. 11012/05/85-Estt. (A) dated 29th July, 1985	G.S.R. 289 dated 20th June, 1992/In Part. II Sec. 3, Sub-Sec. (i)
Notification No. 11012/06/85-Estt. (A) dated 6th August, 1985	G.S.R. 589 dated 26th December, 1992
S.O. 5637 dated 21st December, 1985	G.S.R. 499 dated 8th October, 1994
S.O. 5743 dated 28th December, 1985	G.S.R. 276 dated 10th June, 1995
Notification No. 11012/24/85-Estt. (A) dated 26th November, 1986	G.S.R. 17 dated 20th February, 1996
S.O. 830 dated 28th March, 1987	G.S.R. 125 dated 16th March, 1996
S.O. 831 dated 28th March, 1987	G.S.R. 417 dated 5th October, 1996
S.O. 1591 dated 27th June, 1987	G.S.R. 337 dated 2nd September, 2000
S.O. 1825 dated 18th July, 1987	G.S.R. 420 dated 28th October, 2000
S.O. 3060 dated 15th October, 1988	G.S.R. 211 dated 14th April, 2001
S.O. 3061 dated 16th October, 1988	G.S.R. 60 dated 13th February, 2002
	G.S.R. 2 dated 3rd January, 2004
	G.S.R. 113 dated 10th April, 2004

---